राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–चिप्र/ऑडिट पैरा/2018/167 दिनांक 14/5/2018

परिपत्र

वित्तीय सलाहकार मुख्यालय ने अनोपचारिक टिप्पणी क्रमांक लेखा–18/विजा/17–18/6587–89 दिनांक 22/2/18 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ (चुरू) के लेखा अवधि 2008–09 से 2016–17 तक का विशेष जांच प्रतिवेदन में बतलाई गई अनियमितताओं की पुनरावृति रोके जाने हेतु एवं अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक लेखा–18/विजा/17–18/6580–83 दिनांक 22/2/18 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के विशेष जांच प्रतिवेदन संख्या 3/2017–18 में बतलाई गई अनियमितताओं एवं अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक लेखा–18/ विजा /17–18 /6584–86 दिनांक 22/2/18 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के लेखा अवधि 2012–13 से 2016–17 तक का विशेष जांच प्रतिवेदन में बतलाई गई अनियमितताओं की पुनरावृति रोके जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी करने हेतु लिखा गया ।

इस संबंध में निर्देशानुसार निम्नांकित दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते है :–

1 सक्षम स्वीकृति से अधिक कार्य नहीं कराया जावे ।
2 जीएफएण्डआर, आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 में अंकित प्रावधानों एवं भारत सरकार के निर्देशों की पालना की जावे ।
3 नेगोसिएशन की कार्यवाही में जीएफएण्डआर पार्ट–11 रूल्स 59(1),59(2बी एण्ड),59(2सी) की पालना की जावे ।
4 अनुमोदित फर्मो की निर्धारित कार्य अवधि समाप्तिके उपरान्त कार्य अवधि में वृद्वि नहीं की जाये ।
5 कार्य अवधि वृद्धि के प्रकरण एवं पुनरादेश से संबधित प्रकरणों में GF&AR - Part-II Rule 60 Repeat Orders: Purchases may be increased by 50% of the quantity originally ordered by repeat orders after recording reasons provided that such orders shall not be given for a period exceeding one month from the date of expiry of last supply made and also subject to the condition that prices have since not reduced and purchases were on urgent basis or under rule 38 and 40(2) के प्रावधानों की अवहेलनाए नही की जाये।
6 RTPP Act 2012 and RTPP Rules 2013 के रूल्स 29 रेट कॉनट्रेक्ट (i) एवं Rules 73 Right to vary quantity (2) की पालना की जायें।
7 कार्यालय स्तर पर अनुमोदित फर्मो से निर्धारित कार्य अवधि एक वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात नई निविदा प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने हेतु लेखा नियमों की पालना की जावे तथा GF&AR - Part-II Rule 48(vii) में अंकित प्रावधानों की पालना की जाये।
8 GF&AR - Part-II Rule 72 Appendix -3 Standardised Code of Suppliers में अंकित प्रावधानों की पालना की जाये तथा आरटीपीपी रूल्स 2013 रूल्स 80 एवं 81 की पालना की जावें।
9 आरटीपीपी रूल्स 2013 में अंकित प्रावधानों Section -4 , Section -11(3) and Section -46 एवं GF&AR - Part-II Rule 14 to 16 में अंकित प्रावधानों की पालना की जाये।

14/5/18

10 GF&AR - Part-II Rule 28 , GF&AR - Part-I Rule 10 & RTPP Act 2012 Section -4 की पालना की जाये।

11 GF&AR - Part-I Rule 8(3), 10, 10 (2), 12(4) , 13, 22 (1),225 (4)(घ) की पालना की जाये।

12 RTPP Rules 2013 Rule-11,29, 40 (1) , 55 (8)(घ) ,58 , 73 की पालना की जाये।

13 GF&AR Rule 58 (3) की पालना की जाये।

14 GF&AR - Part-II Rule 4,38, 39, 45(iii) , 52 (iv),52 (अ),55(1), 56 (4),60 की पालना की जाये।

15 निविंदा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव में कांट छांट व ओवर राइटिंग पर संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नही होने पर निविंदा अमान्य मानी जावे।

16 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग 2 के अध्याय 1 के नियम 10 की पूर्ण पालना की जाये।

17 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16(1),29(2)(ख) ,29(2)(झ), 36(3)(घ),40(1),42(1),4(1)(घ) में दिए गये प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।

18 राजस्थान (लोक सेवाओं मे नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम 1999 (रेपसार एक्ट) की पालना की जायें।

19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 एवं 2013 के उपनियम 3 में दिए गये प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।

20 संविदा कर्मियों की नियुक्ति से पूर्व निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर से सक्षम स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय) प्राप्त कर तथा निदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही संविदा कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार की जानी चाहिए ।

21 आरएमआरएस के तहत दी जाने वाली नियुक्ति में आरएमआरएस की नियमावली एवं संशोधित नियमावली की पालना की जायें।

22 आरएमआरएस की नियमावली के भाग 2 में वर्णित वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना की जायें।

23 आरएमआरएस की नियमावली के नियम 9 में वर्णित वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना की जायें।

24 संविदा कर्मिकों की भर्ती के लिये सक्षम स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय) प्राप्त करने के पश्चात राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 15,18 अध्याय 5 में वर्णित नियम 34 से 79 में दिए गये प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।

25 राजस्थान (लोक सेवाओं मे नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम 1999 के नियम 4 (1) , 4 (2), 5 (1) एवं अन्य नियमों की पूर्ण पालना की जायें।

26 विभाग में पदनाम सृजित नही होने पर अपने स्तर पर पद सृजित कर नियुक्ति नही दी जायें। नव पदो का सृजन एवं मानदेय तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

27 स्थापना शाखा का कार्यभार किसी प्रोबेशनर ट्रेनी को नही दिया जाना चाहिए।

28 कार्यालय में आंतरिक प्रशासनिक कार्यवाही / प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जायें।

उपरोक्त नियमों का कडाई से पालन किया जायें।

14.5.18

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/चि.प्र./बीपीएल/2018/ 107 दिनांक 14/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को उनकी अनोपचारिक टिप्पणी कमांक लेखा–18/विजा/17–18/6587–89 दिनांक 22/2/18 एवं कमांक लेखा–18/विजा/17–18/6580–83 दिनांक 22/2/18 एवं कमांक लेखा–18/ विजा /17–18 /6584–86 दिनांक 22/2/18 के संबंध में।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

14.5.18

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर